संपादकीय

छोटे विवादों में जान लेने का फितूर

कहना मुश्किल है कि हमारे समाज में ऐसा क्या बदला है कि जिन छोटे-छोटे विवादों को हम आसानी से सुलझा सकते हैं, उनको लेकर जान लेने तक की नौबत आ जाती है। मान्यता रही है कि पढ़ा-लिखा समाज सभ्य-संवेदनशील होकर प्रगतिशील समाज की आधारशिला रखता है। लेकिन यहां तो हम तरक्की के दावों और साक्षरता में अप्रत्याशित वृद्धि के बावजूद आदमयुगीन व्यवहार करने पर उतारू हैं। कार पार्किंग विवाद हो या सड़क पर आगे जाने की होड़ में वाहनों का जरा आपस में छू जाना, अकसर बड़े विवाद व हिंसक संघर्ष का कारण बन जाता है। पिछले दिनों दिल्ली में एक ई-रिक्शा चालक के कार से लग जाने के बाद कार चालक ने रिक्शा वाले को गोली मार दी। अब सवाल यह भी है कि क्यों इस विवाद को आपसी बातचीत से नहीं टाला जा सका? आखिर क्यों कार चालक को हथियार लेकर चलने की जरूरत पड़ी? आखिर लोगों का खून क्यों उबाल ले रहा है? क्या ये हमारे तामसिक व प्रदूषित खान-पान की देन है? क्या हमारे विचार दूषित हुए हैं? क्या हमारे उन संस्कारों का लोप हो चुका है जो हमें सहजता,सहयोग, सरलता, सहनशीलता, सौम्यता और सहभागिता सिखाते थे? अक्सर हम बुजुर्गों के साथ युवाओं द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए देखते हैं। उनकी उम्र व सफेद बालों का भी कोई लिहाज करता नजर नहीं आता है। सवाल उठता है कि क्या हमारी पारिवारिक संरचना व शिक्षण संस्थाओं द्वारा जीवन मूल्य बांटने की कवायद निष्प्रभावी हो गई है? अकसर हम देखते हैं कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे मुद्दों को लेकर बड़े विवाद होते हैं, जिन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है। हमारे व्यवहार की ये कृत्रिमता विचलित करने वाली है। कभी कहा जाता था कि गहरी नदी खामोशी से बहती है। लेकिन इसके उलट पढ़े-लिखे लोग अनपढ़ों से बदतर व्यवहार करते नजर आते हैं। वह धारणा निर्मूल साबित हो रही है कि विद्या हमें विनय देती है। क्या हमारा जीवन इतना जटिल हो गया है कि हमें क्षण में आक्रोश से भर देता है? हाल के वर्षों में राह चलते मामूली विवादों पर हत्या कर देने की विचलित करने वाली वारदातें अकसर खबरों में सुर्खियां बनती रहती हैं। जो एक सभ्य व्यक्ति में भय व असुरक्षा भर देती हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में अपनी व बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्याप्त हो जाती है। कहीं छोटी-छोटी बात पर रौब दिखाने पर हत्याएं हो जाती हैं तो कहीं वाहनों को खड़े करने के विवाद में खूनी संघर्ष हो रहे हैं। कहीं न कहीं सड़कों पर होने वाली हिंसा के मूल में बेलगाम होता गुस्सा भी है। यह गुस्सा कब कानून की झीनी दीवार लांघ दे, कहना मुश्किल है। कालांतर यही टकराव गंभीर अपराध के रूप में ही सामने आता है। यहां तक कि यह टकराव कई बार दो संप्रदायों के बीच खूनी संघर्ष तक में तब्दील हो जाता है। ऐसे कई समाचार देश के विभिन्न भागों से हमारे सामने आते रहे हैं। हमारे समाज विज्ञानियों और मनोवैज्ञानिकों को हमारे व्यवहार में घर कर रही इस आक्रामकता के कारणों की गंभीर पड़ताल करनी होगी।

विनोद शर्मा, संपादक

टीएमसी नेताओं की निर्लज्ज टिप्पणियों से उठा विवाद

ललित गर्ग

पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जानी चाहिए। ममता बनर्जी के सामने एक और चुनौती है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार- हत्याकांड और उसके बाद देश भर में उपजा आक्रोश अभी भी यादों में ताजा है। निस्संदेह, केवल टिप्पणियों से पार्टी को अलग कर देना ही पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक जीवन में नारी सम्मान एवं जीवन-मूल्यों के खिलाफ जाने वाले लोगों के लिये परिणाम तय होने चाहिए। अन्यथा समाज में ये संदेश जाएगा कि ऐसे कुत्सित प्रयासों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है। किसी अपराध की रोकथाम अच्छे शासन की अनिवार्य शर्त बनना चाहिए लेकिन जब कोई अपराध होता है तो प्रभावी प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। टीएमसी दोनों ही मामलों में विफल प्रतीत होती है। ऐसे मामलों में अत्याचार करने वालों की ही भांति अत्याचार का समर्थन करने वाले दोषी है। अत्याचारियों के लिये ही त्वरित न्याय और सख्त सजा जरूरी है लेकिन जन-प्रतिनिधि की निर्लज्ज बयानबाजी भी अपराध के दायरे में होनी चाहिए। आजीवन शोषण, दमन, अत्याचार, अवांछित बर्ताव और अपमान की शिकार रही भारतीय नारी को अब ऐसे और नये-नये तरीकों से कब तक जहर के घूंट पीने को विवश होना होगा।

कोलकाता में कानून की एक छात्रा से सामूहिक दुराचार-गैंगरेप का मुद्दा एक बार फिर पश्चिम बंगाल में जितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने लगा है उतना ही बड़ा नारी उत्पीड़न का मुद्दा बनकर उभर रहा है। इस मामले में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं की अनर्गल एवं निर्लज्ज टिप्पणी स्त्री की मर्यादा, सम्मान एवं अस्मिता के खिलाफ शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण व संवेदनहीन प्रतिक्रिया है। इन नेताओं ने गैंगरेप मामले पर विवादित बयान से राज्य एवं देश में भारी जनाक्रोश पैदा हो गया था। विशेषतः राजनेताओं के बयानों एवं सोच में एक बार फिर शर्मनाक ढंग से पीड़िता पर दोष मढ़ने की बेशर्म कोशिश की गई है। इस मामले में सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी अन्दर एवं बाहर दोनों मोर्चों पर घिरती हुई नजर आ रही है। जहां इस मामले में पार्टी के अन्दर गुटबाजी एक बार फिर सामने आयी है, वहीं भाजपा आक्रामक रूप से ममता सरकार को घेर रही है। टीएमसी की महिला नेत्री महुआ मोइत्रा टीएमसी नेताओं कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के उन बयानों पर निराशा व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि इन राजनेताओं के बयान में स्त्री-द्वेष पार्टी लाइन से परे है। यह एक बदतर स्थिति है कि जिस पार्टी के नेताओं ने ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए हैं, उस पार्टी की सुप्रीमो एक महिला ही है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि ममता बनर्जी जैसी तेजतर्रार मुख्यमंत्री के शासन और नेतृत्व के वर्षों के दौरान टीएमसी के भीतर नारी सम्मान एवं अस्मिता को लेकर संवेदनशीलता लाने और मानसिकता में बदलाव लाने के प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। अकसर महिलाएं और महिला राजनेता पुरुष नेताओं के हाथों अश्लील, अभद्र और तौहीन भरी टिप्पणओं की शिकार होती रही हैं। ऐसे बयानों के बावजूद अकसर

ये राजनेता किसी कठोर कार्रवाई की बजाय हल्की फुल्की फ़टकार के बाद बच निकलते हैं। ये बयान कभी महिलाओं की बॉडी शेमिंग करते नज़र आते हैं तो कभी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को मामूली बताने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही ये चिन्ताजनक संदेश भी जाता है कि महिलाओं के बारे में हल्के और आपत्तिजनक बयान देना विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के लिये सामान्य बात है।जब किसी देश की बेटियां न्याय का अध्ययन कर रही हों और वहीं उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा हो तो यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि पूरे समाज, व्यवस्था और सोच के लिए एक जघन्य आइना बन जाती है। प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना ने न केवल राजनीतिक सोच एवं कानून के मंदिरों को शर्मसार किया है, बल्कि हर संवेदनशील मन को झकझोर दिया है। पीड़िता एक लॉ कॉलेज में अध्ययनरत छात्रा थी, जो अपने उज्ज्वल भविष्य के सपनों के साथ शिक्षा के पथ पर अग्रसर थी। घटना की रात वह अपने कुछ परिचितों के साथ बाहर थी, जिनमें से ही कुछ ने उसकी अस्मिता को रौंद डाला। उसे नशा दिया गया और फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल यह है कि जब कानून पढ़ने वाली लड़की खुद असुरक्षित है, तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? क्या यह कानून की शिक्षा देने वाली संस्थाओं एवं शासन करने वाली सत्ताओं के लिए आत्ममंथन का समय नहीं है? ऐसी घटनाओं पर निर्भया कांड के बाद बने कानूनों का सख्ती से पालन हो। रेप को सिर्फ एक 'जुर्म' नहीं, 'राष्ट्रीय आपदा' माना जाए, और उसकी रोकथाम के लिए शिक्षा, संस्कार और तकनीकी सुरक्षा साधनों को प्राथमिकता दी जाए। कोलकाता की लॉ छात्रा की यह दर्दनाक घटना हमें चेताती है कि केवल कानून बना लेना काफी नहीं, जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक बेटियां असुरक्षित रहेंगी। यह केवल एक छात्रा की लड़ाई नहीं, बल्कि हर बेटी की सुरक्षा की लड़ाई है। न्याय तब होगा जब ऐसी घटनाएं रुकेंगी और उसके लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। सबसे दुखद पहलू यह है कि अनेक बार ऐसी घटनाओं में समाज चुप रहता है, पीड़िता को दोषी ठहराने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर तंज, मीडिया ट्रायल और व्यक्तिगत चरित्रहनन जैसी बातें पीड़िता को न्याय से अधिक पीड़ा देती हैं। पीड़िता के लिये यह पीड़ा तब और बढ़ जाती है जब उनके जन-प्रतिनिधि निर्लज्ज बयानबाजी करते हैं। विडंबना यह है कि पीड़िता के प्रति निर्लज्ज बयानबाजी अकेले पश्चिम बंगाल का ही मामला नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी संवेदनहीन टिप्पणियां सामने आती रही हैं। यदि इक्कीसवीं सदी के खुले समाज में हम महिलाओं के प्रति संकीर्णता की दृष्टि से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कि ये वे लोग हैं जिन्हें जनता अपना नेता मानती है और लाखों लोग उन्हें चुनकर जनप्रतिनिधि संस्थाओं में कानून बनाने व व्यवस्था चलाने भेजते हैं। देश में बढ़ रही यौन-शोषण, रेप एवं नारी दुराचार की घटनाओं को देखते हुए जन-प्रतिनिधियों को ज्यादा संवेदनशील होने की अपेक्षा की जाती है। बड़ा प्रश्न है कि आखिर किसी राजनेता को हर महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और यौन शोषण को असंवेदनशील तरीके से देखने की छूट क्यों एवं कैसे मिल जाती है। भारत ही ऐसा देश है, जहां महिलाओं की अस्मिता एवं अस्तित्व को तार-तार करने वाले नेताओं के निर्लज्ज बयानों के बावजूद उन पर कोई ठोस, सख्त एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती। जबकि विश्व के अन्य देशों में ऐसा नहीं है। जैसे 2017 में ब्रिटेन के एक पार्षद के सामान्य से बयान पर अच्छा खासा बवाल मचा था। पार्षद ने सांसद का चुनाव लड़ रही एक गर्भवती महिला राजनेता के बारे में कह दिया था, 'वो गर्भवती हैं और उनका समय तो नैपी बदलने में ही बीत जाएगा, वो आम लोगों की आवाज़ क्या उठाएंगी?' इसके लिए पार्षद को माफ़ी मांगनी पड़ी। ब्रिटेन जैसे कई देशों में अकसर ऐसे बयानों पर कार्रवाई होती है। मिसाल के तौर पर 2017 में ही यूरोपियन संसद के एक सांसद ने बयान दिया था कि महिलाओं को कम पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो कमज़ोर, छोटी और कम बुद्धिमान होती हैं।' इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था और उन्हें मिलने वाला भत्ता भी बंद हो गया था। कोलकाता की लॉ छात्रा मामले में टीएमसी नेताओं की टिप्पणियां निस्संदेह निंदनीय हैं।

बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से बेचैन हुआ विपक्ष

डॉ. आशीष वशिष्ठ

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन – एस.आई.आर.) का काम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक उसकी इस पहल का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और वास्तविक बनाना है। हालांकि, विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में छेड़छाड़ के व्यापक आरोप लगाए हैं। लगभग सभी ने एसआईआर का विरोध किया है और कहा है कि इससे मताधिकार से वंचित होने का गंभीर खतरा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 7.89 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। राज्य में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में इस तरह का आखिरी गहन संशोधन 2003 में किया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में 2003 की मतदाता सूची को फिर से वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें 4.96 करोड़ लोगों के नाम हैं। इनमें शामिल लोगों को जन्मतिथि या जन्मस्थान साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं देने होंगे। बाकी 3 करोड़ मतदाताओं को प्रमाण के लिए दस्तावेज देने होंगे। वोटिंग लिस्ट में ये संशोधन ऐसे वक्त किए जाने हैं जब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में विपक्षी पार्टियां इस पर नाराज़गी जता रही हैं। इस मसले पर विपक्ष की ओर से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई मुद्दे उठाए थे और व्यावहारिक समस्याएं बताई थीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम को एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) से भी ज्यादा खतरनाक बताया और आरोप लगाया कि उनका राज्य, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, असली लक्ष्य है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 जून को महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग के बारे में कई बातें लिखी थीं। उन्होंने लिखा था, ज्क्योंकि महाराष्ट्र की यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी, जहां-जहां बीजेपी हार रही होगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने 28 जून को कहा कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पिछले दरवाजे से एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) लाने का एक भयावह कदम है। इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने 27 जून को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है।÷ जबकि सत्तारूढ़ दलों ने इसे पूर्व की चुनावी धांधली पर चुनाव आयोग की सख्ती के साथ पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2003 में जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था तो उसमें दो साल लगे थे और तब साढ़े चार करोड़ से कुछ ज्यादा मतदाता थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) का मानना है कि विधानसभा चुनाव से एक महीने पहले सघन पुनरीक्षण अभियान संभव नहीं है। राजद नेताओं ने सवाल उठाया कि अगर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की इतनी आवश्यकता है, तो यह केवल बिहार में ही क्यों किया जा रहा है क्या देश के अन्य राज्यों को इसकी जरूरत नहीं है।

सरहद के मुहाफ़िज़ के नाम

अपनी जाँ नज़ करूँ, अपनी वफ़ा नज़्र करूँ

मेरे सरहद के सिपाही, तुझे क्या न करूँ
है अजन्ता की एलोरा की हिफ़ाज़त तुझ से
जज़्बे - उलफ़त के निशाँ ताज की अज़्मत तुझ से
ज़रें - ज़रें को वतन से है मोहब्बत तुझ से
तेरी यादों को मैं कलियों की हया नज़ करूँ
अपनी जाँ नज़्र करूँ, अपनी वफ़ा नज़ करूँ
सैकड़ों माँगों का सिन्दूर बचाने वाले
माँओं की आँखों का ऐ नूर बचाने वाले
आरजूए दिले मजबूर बचाने वाले
तुझको उन सब के दिलों की मैं दुआ न करूँ
अपनी जाँ नन करूँ, अपनी वफ़ा नन करूँ
शक्ल दुश्मन की तुझे जब नजर आई होगी
है यक़ीं तूने बड़ी शान दिखाई होगी
मौत उसे शक्ल में तेरी नज़र आई होगी
तेरी हिम्मत को बहारों की अदा नज़ करूँ
अपनी जाँ नन करूँ, अपनी वफ़ा नज़्र करूँ

'रजा' रामपुरी

क्यों नहीं पहुंच पातीं सरकारें घरों की दहलीज तक ?

संजीव कुमार मिश्र

भारतीय राजनीति में महिलाओं के सशक्तीकरण की बातें खूब होती हैं। चुनावी घोषणापत्रों में उनके लिए वादे भी किए जाते हैं, परंतु चुनाव बीतते ही वायदों पर धूल की परत जम जाती है। शायद ही कोई जनप्रतिनिधि उनके दुख-दर्द को सुनने, उनकी अपेक्षाओं को समझने के लिए घर की दहलीज तक जाता हो? यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं ने जिया है। लेकिन तारीफ करनी होगी बिहार की जिसने इस परिपाटी को तोड़कर एक नई मिसाल कायम की है। एक ऐसा प्रदेश, जिसने दशकों तक महिलाओं को पुरुषों के निर्देशों पर मताधिकार का प्रयोग करते देखा, आज वही महिला सशक्तीकरण की एक ऐसी नई इबारत लिख रहा है, जो देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन चुकी है। इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव महिला संवाद कार्यक्रम है, जिसे विगत 18 अप्रैल से प्रदेश में ग्राम स्तर पर शुरू किया गया। यह पहल केवल एक सरकारी कवायद नहीं, बल्कि महिलाओं को केंद्र में रखकर सामाजिक बदलाव को गति देने का एक सशक्त माध्यम है। यह कार्यक्रम प्रदेश की बेटियों, माताओं और बहनों की आवाज़ को गंभीरता से सुनने, समझने और भविष्य की नीतिगत व प्रशासनिक पहलों को आकार देने का एक महत्त्वपूर्ण मंच बन गया है। यह संतोष का विषय है कि अब तक 38 जिलों में 52,468 महिला संवाद कार्यक्रमों का सफल आयोजन हो चुका है, जिसमें कुल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। यह संख्या इस बात का भी जीवंत प्रमाण है कि प्रदेश की महिलाएं अब अपनी आवाज उठाने और सरकार से सीधे जुड़ने को लेकर कितनी उत्सुक और जागरूक हैं। दरभंगा से लेकर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी

चंपारण, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, नालंदा और वैशाली तक, हर जगह महिलाओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने नीति-निर्माताओं को यह समझने का अवसर दिया है कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में आगे किन प्राथमिकताओं के साथ कदम बढ़ाए जाएं। महिला संवाद की यह पृष्ठभूमि आकस्मिक नहीं है। नीतीश कुमार के कार्यकाल को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि सबसे पहले, लड़कियों में शिक्षा की अलख जगाने पर ज़ोर दिया गया। जहां वर्ष 2000 के आसपास बिहार में लड़कियाँ सरकारी स्कूलों में कम जाती थीं, वहीं वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इस योजना ने लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, जिससे वे दूर-दराज के गांवों से भी साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने लगीं। इसकी सफलता ने देश के अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए। वर्ष 2013 से पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। 2016 से सभी प्रकार की सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है, और प्राथमिक शिक्षक नियोजन में तो 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें सशक्त किया गया है। महिलाओं के सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन में जीविका स्वयं सहायता समूह का गठन भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर शुरू की गई जीविका ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा इन महिलाओं को दिया गया %जीविका दीदी% नाम आज एक पहचान बन चुका है। वर्तमान में, बिहार में 10 लाख 64 हजार स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनसे 1 करोड़ 35 लाख से अधिक जीविका दीदियाँ जुड़ी हैं। जीविका से जुड़कर ये महिलाएं लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर अपने और अपने समुदाय के जीवन स्तर में सुधार ला रही हैं। महिला संवाद कार्यक्रम में प्रदेश की महिलाओं ने कई महत्त्वपूर्ण और व्यवहारिक मांगें रखी हैं, जो उनकी दूरदृष्टि और आकांक्षाओं को दर्शाती हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग स्वरोजगार से जुड़ी है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों के लिए सस्ते ब्याज दरों पर ऋण और जीविका दीदी की रसोई व जीविका दीदी हाट जैसी पहल शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में प्रखंड स्तर पर राइस मिलों की स्थापना, वेजिटेबल मार्ट, किसान सम्मान निधि में वृद्धि और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की मांगें भी मुखरता से उठी हैं। बुनियादी सुविधाओं के लिए जीविका भवन, लाइब्रेरी और पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधाओं की मांग की गई है। सामाजिक सुधारों में शराबबंदी की तर्ज पर गुटखा, सिगरेट और तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध, और सुरक्षा के लिए महिला पुलिस चौकी, हेल्प डेस्क तथा प्रखंड स्तर पर महिला थाना बनाने की मांगें भी प्रमुखता से रखी गई हैं। यह आशा की जाती है कि सरकार इन मांगों पर शीघ्रता से विचार कर अपेक्षित निर्णय लेगी। यह संतोषजनक है कि बिहार सरकार की नीतियों और योजनाओं के कारण प्रदेश में महिला सशक्तीकरण का एक स्वर्णिम दौर शुरू हुआ है। 2005 से पूर्व और उसके बाद बिहार में आए इस सकारात्मक बदलाव को आज हर स्तर पर देखा और महसूस किया जा रहा है। आंकड़े स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं- 93.11त्न महिलाएं आज खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, 91.73त्न घरों में घरेलू हिंसा कम हुई है, और 87.75त्न महिलाएं खुद को आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत मानती हैं। आज बिहार में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी लगन और मेहनत से अपना मुकाम बना रही हैं। यह बदलता बिहार है, जहाँ की बेटियां अब सिर्फ घर की चौखट के भीतर नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन और नीति-निर्माण में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विकसित बिहार के निर्माण में महिलाओं की यह बढ़ती भागीदारी न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि जब महिलाओं को अवसर और मंच मिलता है, तो वे न केवल अपनी बल्कि पूरे समाज की तकदीर बदलने की क्षमता रखती हैं।

क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने दस प्रकार की सृष्टियों की रचना की है

शुभा दुबे

ब्रह्मा जी ने आदि देव भगवान की खोज करने के लिए कमल की नाल के छिद्र में प्रवेश कर जल में अंत तक ढूंढा। परंतु भगवान उन्हें कहीं भी नहीं मिले। ब्रह्मा जी ने अपने अधिष्ठान भगवान को खोजने में सौ वर्ष व्यतीत कर दिये। अंत में ब्रह्मा जी ने समाधि ले ली। इस समाधि द्वारा उन्होंने अपने अधिष्ठान को अपने अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। शेष जी की शैय्या पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हुए दिखाई दिये। ब्रह्मा जी ने पुरुषोत्तम भगवान से सृष्टि रचना का आदेश प्राप्त किया और कमल के छिद्र से बाहर निकल कर कमल कोष पर विराजमान हो गये। इसके बाद संसार की रचना पर विचार करने लगे। ब्रह्मा जी ने उस कमल कोष के तीन विभाग भूः भुवः स्वः किये। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का दृढ़ संकल्प लिया और उनके मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से, पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष तथा गोद से नारद उत्पन्न हुये। इसी प्रकार उनके दायें स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, दोनों भौंहों से क्रोध, मुख से सरस्वती, नीचे के ओंठ से लोभ, लिंग से समुद्र तथा छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुये। इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत ब्रह्मा जी के मन और शरीर से उत्पन्न हुये। एक बार ब्रह्मा जी ने एक घटना से लज्जित होकर अपना शरीर त्याग दिया। उनके उस त्यागे हुये शरीर को दिशाओं ने कुहरा और अन्धकार के रूप में ग्रहण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी के पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख से सामवेद और उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद की ऋचाएँ निकलीं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और स्थापत्य आदि उप-वेदों की रचना की। उन्होंने अपने मुख से इतिहास पुराण उत्पन्न किया और फिर योग विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म आदि की रचना की। उनके हृदय से ओंकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर, छन्द आदि तथा क्रीड़ा से सात सुर प्रकट हुये। इस सबके बावजूद भी ब्रह्मा जी को लगा कि मेरी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही है तो उन्होंने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया जिनका नाम का और या (काया) हुये। उन्हीं दो

भागों में से एक से पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शतरूपा था। मनु और शतरूपा ने मानव संसार की शुरुआत की।

ब्रह्मा जी ने दस प्रकार की सृष्टियों की रचना की जो इस प्रकार हैं-

1- महत्तत्व की सृष्टि- भगवान की प्रेरणा से सन्त्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका गुण है।

2- अहंकार की सृष्टि- इसमें पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है।

3- भूतसर्ग की सृष्टि- इसमें पंचमाहा भूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है।

4- इन्द्रियों की सृष्टि- यह ज्ञान और क्रियाशील शक्ति से उत्पन्न होती है।

5- सात्विक सृष्टि- अहंकार से उत्पन्न हुए इन्द्रयिाधिष्ठाता देवताओं की सृष्टि है। मन इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है।

6- अविद्या की सृष्टि- इसमें तामिस्त्र, अन्धतामिस्त्र, तम, मोह, माहमोह, पांच गाठें हैं।

7- वैकृत की सृष्टि- यह छह प्रकार के स्थावर वृक्षों की है। इनका संचार जड़ से ऊपर की ओर होता है।

8- तिर्यगयोनि की सृष्टि- यह पशु पक्षियों की सृष्टि है। इनकी 28 प्रकार की योनियां मानी गयी हैं।

9- मनुष्यों की सृष्टि- इस सृष्टि में आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है।

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप 11 प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित कर, जी-11 प्रथम तल गोयल निकेत जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित, पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा । RNI No. MPHIN/2016/68059